न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 217/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/315)

वादीगण बनाम	प्रतिवादीगण
1. मलकीयत सिंह पुत्र चनन सिंह जाति कारीगर निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. गुरनाम सिंह पुत्र चनन सिंह जाति कारीगर निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 3. जरनैल सिंह पुत्र चनन सिंह जाति कारीगर निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 4. जसपाल सिंह पुत्र माडा सिंह जाति कारीगर निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 5. प्रीतम सिंह पुत्र चनन सिंह जाति कारीगर निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 6. हरभजन सिंह पुत्र चनन सिंह जाति कारीगर निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर।	1. ज्ञान सिंह पुत्र चनन सिंह जाति कारीगर निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 10.07.2025

उपस्थितः1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण

––निर्णय–– **दिनांकः 19.12.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 3 वीं, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 46/46 के मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से सहखातेदारान के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बहिस्सा बराबर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी काश्त सहुलियत के अनुसार सहमति से घरू वाहमी बंटवारा किया हुआ है। घरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अपनी-अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। वादीगण उक्त भूमि पर काफी वर्षो से निर्बाध रूप से, शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अपने-अपने रकबा पर काबिज अवश्य है। लेकिन कब्जा काश्त के अनुसार रकबा अंकित नहीं है। हालांकि वादीगण ने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत से भूमि को समतल करके, उसमें कई सुविधाओ का निर्माण किया है। वादीगण का जीवन निर्वाह व उज्जवल भविष्य कृषि भूमि पर निर्भर है, लेकिन राजस्व अभिलेख में मुताबिक कब्जा काश्त के रकबा अंकित नहीं है। आज से 10 रोज पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 वीं, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 46/46 के मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के नाम दर्ज भूमि का अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।
3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 3 वीं, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 46/46 के मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण मलकीयत सिंह, गुरनाम सिंह, जरनैल सिंह, जसपाल सिंह, प्रीतम सिंह, हरभजन

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस वादीगण अधिवक्ता, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है, कि राजस्व ग्राम 3 वीं, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 46/46 के मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	मलकीयत सिंह पुत्र चनन सिंह जाति कारीगर निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। (1.012 हैक्टेयर)	3 वीं	12	1 ता 4	1.012 हैक्टेयर	बारानी	4.40
2	गुरनाम सिंह पुत्र चनन सिंह जाति कारीगर निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। (0.843 हैक्टेयर)	3 वीं	12	12 13,14 15	0.127 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.210 हैक्टेयर	बारानी बारानी बारानी	0.55 2.20
3	जरनैल सिंह पुत्र चनन सिंह जाति कारीगर निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। (0.936 हैक्टेयर)	3 वीं	12	5, 6, 7 8	0.759 हैक्टेयर 0.177 हैक्टेयर	बरानी बारानी	0.91 0.77
4	जसपाल सिंह पुत्र माडा सिंह जाति कारीगर निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। (0.961 हैक्टेयर)	3 वीं	12	8 9,10,11 12	0.076 हैक्टेयर 0.759 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर	बारानी बारानी बारानी	0.33 0.91 0.55
5	प्रीतम सिंह पुत्र चनन सिंह जाति कारीगर निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। (0.843 हैक्टेयर)	3 वीं	12	17 18, 19, 20	0.084 हैक्टेयर 0.759 हैक्टेयर	बारानी बारानी	0.37 0.91
6	हरभजन सिंह पुत्र चनन सिंह जाति कारीगर निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। (0.844 हैक्टेयर)	3 वीं	12	15 16 17 24 25	0.043 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.169 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर	बारानी बारानी बारानी बारानी बारानी	0.19 1.10 0.73 0.55 1.10

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)